



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर धारदार हथियार से गंभीर चोट पहुंचाने वाले अभियुक्त को 01 वर्ष का कठोर कारावास व ₹1000/- के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना ललपुरा में पंजीकृत मु०अ०सं०-46/2021 धारा- 323,324,307,504 भा०द०सं० में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय एडीजे प्रथम कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर (हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त) लल्लू उर्फ युवराज पुत्र मइयादीन वर्मा नि० उजनेड़ी थाना ललपुरा जनपद हमीरपुर को धारा-323,324 भा०द०सं० में दोष सिद्ध करते हुए 01 वर्ष का कठोर कारावास व 1,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-  
एडीजीसी श्री चन्द्रप्रकाश  
गोस्वामी



विवेचक-  
उ०नि० सन्तराम



पैरोकार- थाना ललपुरा  
हे०का० धर्मेन्द्र मिश्रा